क्र. 7156/T.L./2020
①
दि. 2-7-2020

कार्यालय कलेक्टर जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0

टी0एल0 समीक्षा बैठक दिनांक 29/06/2020 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 29 जून 2020 को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की व्ही0सी0 कक्ष में वीडियों कान्फ्रेन्स के माध्यम से आयोजित समय–सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में निम्नानुसार निर्देश पालन की कार्यवाही हेतु दिये गये :–

1– सर्वप्रथम गेहूँ एवं चना उपार्जन केन्द्र एवं भुगतान संबंधी कार्यों की समीक्षा की गई ।

अ– गेहूँ के किसान विक्रेताओं को शीघ्र भुगतान हो जाएं, यह सुनिश्चित किया जाए । गेहूँ खरीदी में सम्मिलित कुल 73 समितियों में से 31 समितियों का भुगतान शेष रहा है । शेष समितियों का भुगतान शीघ्र करा दिया जावें ।

ब– चने के उपार्जन केन्द्रों में लगे हम्मालों का भुगतान वर्तमान में लगभग 11 लाख 21 हजार हुआ है । शेष हम्मालों का भुगतान शीघ्र हो यह सुनिश्चित किया जावें ।

स– उर्पाजन का कार्य बेहतर तरीके से किये जाने पर सभी उपार्जन कार्य में संलग्न अधिकारियों एवं उपार्जन समिति सदस्यों को बधाई दी गई । इसी आशा के साथ समितियों एवं उपार्जन केन्द्रों पर रहे शेष अनाज को अपग्रेड कर परिवहन कार्य को पूर्ण किये जाने एवं किसानों के भुगतान शीघ्र किये जाने हेतु अधिकारियों एवं समिति सदस्यों को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही–सर्व संबंधित उपार्जन समिति)

2– सारंगपुर स्वास्थ्य केन्द्र में ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता का नियमित ईलाज न होने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया कि स्वास्थ्य केन्द्र पर व्यवस्थाएँ दुरस्त की जावें साथ ही स्वास्थ्य केन्द्र पर संलग्न कर्मचारियों को अपने कर्तव्य के प्रति सजग किया जावें ।

(कार्यवाही–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजगढ़)

3– डबल लॉक से सिंगल लॉक में किसानों को समयावधि में वितरण कराये जाने हेतु महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को निर्देश दिये गये साथ ही डबल लॉक से सिंगल लॉक में किये जा रहे की सूची तैयार कर अपर कलेक्टर को उपलब्ध कराई जावें ।

(कार्यवाही–अपर कलेक्टर, महाप्रबंधक सीसीबी एवं उपसंचालक कृषि)

4– प्रदेश में कोविड–19 बीमारी की ट्रांसमिशन चेन को तोड़ने और आमजन को कोविड–19 से बचाव हेतु और अधिक जागृत करने के लिए प्रदेश के समस्त जिलों में 01 जुलाई से 15 जुलाई तक स्पेशल मास स्क्रीनिंग किल कोरोना केम्पेन संचालित किया जाना है ।

इस अभियान के तहत गॉव–गॉव तक लोगों में जागरूकता लाने के लिए समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपने स्तर पर जनप्रतिनिधियों एवं समाजसेवियों की एक बैठक आयोजित की जावें । गठित समिति द्वारा घर–घर जाकर सर्वे किये जावें एवं मोबाईल एप में सर्वे किये गये लोगों की जानकारी भी अंकित की जावें ।

उक्त अभियान के तहत जिला स्तर पर भी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाकर उन्हें कुछ पंचायतें/केन्द्र आवंटित किये जावे । नियुक्त अधिकारी आवंटित केन्द्रों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन सौंपेंगे ।

(कार्यवाही–अपर कलेक्टर, सीएमएचओ, डीपीओ एवं समस्त एसडीएम)

5– परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण द्वारा स्ट्रीट वेंडर की जानकारी दी गई जिसमें उनके द्वारा 9538 पंजीकृत एवं 3351 सत्यापन संबंधी जानकारी से अवगत कराया गया ।

कार्य को पूर्ण करने हेतु 01 जुलाई 2020 को डीएलसीसी की बैठक आयोजित की जावें एवं ब्रांचवाईस लक्ष्य भी निर्धारित किया जावें ।

(कार्यवाही–पी0ओ0 डूडा एवं एलडीएम)

6– पुराने वनाधिकार पट्टों के पुर्नःपरीक्षण की कार्यवाही पर समीक्षा की गई । समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) यह सुनिश्चित करे कि वनाधिकार पट्टों का सूक्ष्मता से परीक्षण करे, विश्लेषण पश्चात् ही पात्र एवं अपात्र किये जावें । उक्त कार्यवाही आगामी 03 दिवस में पूर्ण कर ली जावें ।

क्र. 7156/T.L./2020
दि. 2-7-2020

(2)

जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग को निर्देशित किया गया कि जो एफआरसी द्वारा 179 पट्टे निरस्त किये गये है वे प्रकरण सूक्ष्म परीक्षण हेतु पुनः एफआरसी को प्रेषित् किये जावें ।

(कार्यवाही–डी0ओ0 आ0जाति0क0 एवं समस्त एसडीएम/समस्त ज0पं0)

7– गौ–शालाओं में बिजली उपलब्ध नहीं हो पाई है । अधीक्षण यंत्री, म0.प्र0 विद्युत मण्डल गौ–शालाओं में बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें ।

ग्राम पीपलबे, गोलाखेड़ा, आमलाबे एवं सेमलीकाकड में गौ–शालाऐं संचालित नहीं हो पाई है, उप संचालक, पशु चिकित्सा को निर्देशित किया गया कि शेष गौ–शालाओं का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जावें ।

(कार्यवाही–एस0ई0 एमपीईबी एवं उपसंचालक पशु चिकित्सा)

8– प्रायः यह देखने में आया है कि सड़कों पर गौ–वंश बहुत ही मात्रा में मुख्य सड़कों एवं मार्गो पर बैठी रहती है जिससे दुर्घटना की स्थिति में भी बनी रहती है ।

समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि क्षेत्र में सड़कों पर गौ–वंश न बैठें ।

(कार्यवाही–पी0ओ0 डूडा, समस्त एसडीएम एवं समस्त सीएमओ)

9– महाप्रबंधक, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क ईकाई राजगढ़/ब्यावरा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग प्रतिनिधि द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि अनुविभाग अन्तर्गत ग्रामों की सूची अनुसार जल भराव एवं बाढ़ जैसी स्थिति पर बोर्ड लगा दिये गये है।

10– समस्त राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अपने स्तर पर कोई भी प्रकरण पेशी से न उतरे । पेशी से उतरे प्रकरण पुनः पेशी पर लिये जावें ।

समीक्षा दौरान पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर के 414 प्रकरण, तहसीलदार खिलचीपुर के 657 प्रकरण, नायब तहसीलदार सण्डावता के 216 प्रकरण पेशी से उतरे है । उक्त प्रकरणों पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए समस्त प्रकरणों को पुनः पेशी पर लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया । साथ ही समस्त राजस्व अधिकारी, राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही–समस्त राजस्व अधिकारीगण)

11– प्रारंभिक टी0एल0 बैठक में समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि यदि किसी अधिकारी का महत्वपूर्ण बिन्दु जो कि टी0एल0 बैठक में लिया जाना है तो उसे स्टेनों को नोट करावें परन्तु किसी भी अधिकारी द्वारा ऐसी जानकारी नोट नहीं कराई गई ।

अतः समस्त अधिकारी महत्वपूर्ण पत्रों की जानकारी से टी0एल0 बैठक के पूर्व अवगत करावे ताकि टी0एल0 बैठक में उक्त बिन्दु पर समीक्षा की जा सके ।

(कार्यवाही–समस्त अधिकारीगण)

12– प्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक सुनिश्चित करें कि जिले में किसानों को केडिट कार्ड बनाने के लिए फार्म लेकर उनका केडिट बनाया जावें । आगामी डीएलसीसी की बैठक में उक्त बिन्दु पर समीक्षा की जावेगी ।

(कार्यवाही–एलडीएम)

13–सी0एम0हेल्पलाईन प्रकरणों की समीक्षाः–

सी0एम0 हेल्पलाईन अन्तर्गत विभागवार प्रकरणों की समीक्षा की गई । एल–4 स्तर के लंबित प्रकरणों पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए आगामी टी0एल0 बैठक के पूर्व 50 प्रतिशत् प्रकरणों का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें ।

अ– समीक्षा दौरान पाया गया कि अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की लेवल–4 पर 69 से बढ़कर 79, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लेवल–4 पर 101 से बढ़कर 123, संस्थागत वित्त की 74 से बढ़कर 75, राजस्व विभाग की 204 से बढ़कर 212 एवं खाद्य आपूर्ति विभाग की 59 से बढ़कर 73 शिकायतें लंबित पाई गई । समस्त अधिकारी सी0एम0 हेल्पलाईन प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करें ।

ब– राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों में तहसील खिलचीपुर की 97, तहसील पचोर की 49, तहसील नरसिंहगढ़ की 56, तहसील जीरापुर की 38, तहसील सारंगपुर की 41, तहसील ब्यावरा की 51, तहसील सुठालिया की 14, तहसील राजगढ़

क्र. 7156/टी.एल./2020
दि. 2-7-2020

की 2 एवं तहसील खुजनेर की 2 शिकायतें सी0एम0 हेल्पलाईन में लंबित है । अतः समस्त राजस्व अधिकारी लेवल–4 पर प्राप्त लंबित शिकायतों का 50 प्रतिशत निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें ।

स– सीमांकन प्रकरणों में लेवल–4 पर प्राप्त शिकायत जिनमें नरसिंहगढ़ के 02, जीरापुर के 02, खिलचीपुर के 02 ब्यावरा के 02 एवं पचोर के 02 प्रकरण लंबित है, का शीघ्र निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें ।

द– सामान्य प्रशासन विभाग प्रकरणों की लेवल–4 पर प्राप्त शिकायत जिनमें ब्यावरा के 10, नरसिंहगढ़ के 08, खिलचीपुर के 08 सारंगपुर के 03 एवं पचोर के 02 प्रकरण लंबित है, का शीघ्र निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।

इ– भू–अर्जन की लेवल–4 पर प्राप्त शिकायत जिनमें ब्यावरा के 15, नरसिंहगढ़ के 11, सारंगपुर के 13, खिलचीपुर के 03, जीरापुर के 01, राजगढ़ के 01 एवं पचोर के 01 प्रकरण लंबित है, का शीघ्र निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही–सर्व संबंधित अधिकारीगण)

14– प्रायः यह देखने में आया है कि जिला अधिकारी जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों का निराकरण एवं जवाब प्रस्तुत नहीं करते है, समस्त अधिकारी सुनिश्चित करे कि उनके विभागों में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जावें एवं जवाब प्रस्तुत किया जावें ।

(कार्यवाही–सर्व संबंधित अधिकारीगण)

15– माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय से प्राप्त (रिट याचिका) प्राप्त होने पर विभागीय अधिकारियों को प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है परन्तु संबंधित अधिकारी समय पर न्यायालय में जबाबदावा प्रस्तुत नही करते हैं जिसके कारण अवमानना की स्थिति उत्पन्न होती हैं, अतः समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालयों में नियत अवधि में जवाबदावा प्रस्तत किये जावें तथा प्रभारी अधिकारी सुनिश्चित करे कि माननीय उच्च न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत करने के पूर्व उक्त प्रकरण का अवलोकन एवं अनुमोदन कराया जावे ताकि अवमानना की स्थिति निर्मित न हो ।

समीक्षा दौरान पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा के 13, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर के 17, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ के 04, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ के 8, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सारंगपुर के 11, तहसीलदार पचोर के 03, तहसीलदार सारंगपुर के 06, तहसीलदार राजगढ़ के 21, तहसीलदार खुजनेर के 05, तहसीलदार नरसिंहगढ़ के 08, तहसीलदार खिलचीपुर के 13, तहसीदार जीरापुर के 12, तहसीलदार ब्यावरा के 06, परि0 संचालक मोहनपुरा एवं कुण्डालिया परियोजना के 08, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन के 10, जिला शिक्षा अधिकारी के 11 एवं अन्य अधिकारी तथा समस्त मुख्य नगरपालिकाओं एवं जनपद पंचायतों के प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने है । समस्त अधिकारी उक्त प्रकरणों में शीघ्र जवाबदाव हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही–सर्व संबंधित अधिकारीगण)

<u>16–शासन के महत्वपूर्ण पत्रों पर चर्चा :–</u>

1– मत्स्य अधिकारी द्वारा शासन से प्राप्त पत्र, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के प्रभावी कियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय समिति गठित किये जाने के संबंध में पत्र से अवगत कराया गया ।

जिला मत्स्य अधिकारी उक्त पत्रानुसार शीघ्र जिला स्तरीय समिति गठित संबंधी करने संबंधी कार्यवाही करें ।

(कार्यवाही–जिला मत्स्य अधिकारी)

2– सहायक आपूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिन उपभोक्ताओं के आधार वर्तमान में पोर्टल पर दर्ज नहीं है उन उपभोक्ताओं को पोर्टल पर दर्ज करने संबंधी कार्यवाही करने हेतु सर्व संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया ।

(कार्यवाही–जिला आपूर्ति अधिकारी एवं सर्व संबंधित अधिकारी)

<u>17–समय–सीमा (टी0एल0) पत्रो/प्रकरणों की समीक्षा:–</u>

टी0एल0 पत्रों/प्रकरणों की समीक्षा की गई । अधिकतर विभागों के प्रकरण लंबित होने के कारण आगामी टी0एल0 बैठक के पूर्व प्राप्त पत्रों/प्रकरणों का निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

1– अ– राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 752–सी पचोर से शुजालपुर मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 752–बी ब्यावरा के मकसूदनगढ़ मार्ग में राजगढ़ जिले में पड़ने वाले भाग में निजी भूमि के हितग्राही को भू–अर्जन की राशि वितरण में विलंब संबंधी पत्र कार्यवाही करने हेतु प्रभारी अधिकारी भू–अर्जन को निर्देशित किया गया ।

ब– भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पत्रानुसार ब्यावरा–देवास राष्ट्रीय राजमार्ग को फोरलेन के रूप में उन्नयन किये जाने संबंधी पत्र पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ।

(कार्यवाही–प्रभारी अधिकारी भू–अर्जन, एसडीएम ब्यावरा/सारंगपुर,)

क्र. 7156/T.L./2020
दि. 2-7-2020

(4)

2– कोविड–19 भर्ती में मेरिट सूची में नाम दर्ज नहीं होने के संबंध में आवेदक श्रीनाथ दांगी एवं रामबाबू दांगी द्वारा दिये गये आवेदन पर कार्यवाही कर अवगत कराने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ को निर्देशित किया गया ।

(कार्यवाही–एसडीएम राजगढ़)

3– अधीक्षक, भू–अभिलेख को टी0एल0 में प्राप्त पत्र, पॉच सौ एवं अधिक रकबा के खसरा क्रमांकों के रकबा ठीक करने संबंधी पर कार्यवाही कर अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया ।

(कार्यवाही–अधीक्षक, भू– अभिलेख)

4– अधीक्षण यंत्री, म0.प्र0 विद्युत मण्डल, ग्राम झरन्या तह0 जीरापुर में तार लटकने से बालिकाओं को करंट लगने संबंधी पत्र पर कार्यवाही कर जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

(कार्यवाही–एस0ई0 एमपीईबी)

5– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर को निर्देशित किया गया कि ब्लाक जीरापुर में 108 संजीवनी वाहन, अपने कार्यो को अनियमित एवं मनमाने ढंग संचालित करने संबंधी पत्र पर जॉच कर जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही–एसडीएम खिलचीपुर)

18–अंर्तविभागीय समन्वयक के बिन्दु:–

1– राजगढ़ तहसील में मेडीकल कॉलेज की जमीन आवंटन हेतु कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग एवं परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण शीघ्र एन0ओ0सी0 प्रस्तुत करे ।

(कार्यवाही–ई0ई0 पीडब्ल्यूडी एवं पीओ डूडा)

2– सण्डावता में तहसील निर्माण के लिए भूमि के संबंध में अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा अवगत कराया गया । उक्त कार्य के लिए अनुविभागीय अधिकारी (सारंगपुर) तहसील निर्माण हेतु नई जमीन आवंटन करने संबंधी कार्यवाही करें ।

(कार्यवाही–तहसीलदार सारंगपुर)

3– लोक सेवा गारंटी अन्तर्गत आउटसोर्स पर ऑपरेटर की भर्ती के संबंध में उक्त पत्र को अवलोकन कराने हेतु जिला प्रबंधक, लोक सेवा गारंटी को अवगत कराया गया ।

(कार्यवाही–डीएम, लोक सेवा)

अंत में धन्यवाद उपरान्त बैठक समापन की गई ।

कलेक्टर
जिला राजगढ़, म.प्र.

कार्यालय कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

क्रमांक 7156/टीएल/20 राजगढ़, दिनांक 29 जून 2020 2-7-20

प्रतिलिपिः

1– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला राजगढ़।
2– अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़।
3– संयुक्त कलेक्टर, जिला राजगढ़।
4– डिप्टी कलेक्टर, ... जिला राजगढ़।
5– सर्व जिलाधिकारी..जिला राजगढ़
6– समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).................................. जिला राजगढ़।
7– समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत..............................जिला राजगढ।
8– समस्त तहसीलदार......................................जिला राजगढ।
9– समस्त नगरपालिका......................................जिला राजगढ।
10– अधीक्षक, कलेक्टर कार्यालय, जिला राजगढ।

की ओर सूचनार्थ एवं दिए गए निर्देशों का पालन कर पालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें ।

कलेक्टर
जिला राजगढ़, म.प्र.